

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कबीरधाम(छ.ग.)

// आदेश //

क्रमांक / 6865 सां.लि / कोरोना / 2020

कवर्धा, दिनांक 21.09.2020

वर्तमान में थोक सब्जी बाजार का संचालन नवीन कृषि उपज मंडी (तालपुर), विकासखण्ड कवर्धा में किया जा रहा है। विगत दिवस में शहरी क्षेत्र (कवर्धा) के विभिन्न वार्डों में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ने के कारण सम्पूर्ण नगर पालिका क्षेत्र को कार्यालयीन आदेश क्रमांक 6418 दिनांक 14.09.2020 द्वारा कंटेन्मेंट जोन घोषित किया गया है, चूंकि नवीन कृषि उपज मंडी (तालपुर) शहरी क्षेत्र से लगे होने एवं सब्जी बाजार में अत्यधिक भीड़ होने के कारण संक्रमण के फैलने की अधिक संभावना है। अतः ऐसी स्थिति में वर्तमान में संचालित थोक सब्जी बाजार, नवीन कृषि उपज मंडी (तालपुर) को एक सप्ताह के लिए दिनांक 21.09.2020 से दिनांक 27.09.2020 तक बंद किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,

जिला कबीरधाम

कवर्धा, दिनांक 21.09.2020

पृ.क्रमांक / 6866 सां.लि / कोरोना / 2020
प्रतिलिपि -

1. पुलिस अधीक्षक, जिला कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. वनमण्डलाधिकारी, जिला कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
4. अनुविभागीय दण्डाधिकारी, कवर्धा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, कबीरधाम को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
6. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. जिला परिवहन अधिकारी, कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
8. जिला सूचना एवं विज्ञान अधिकारी, कबीरधाम को kawardha.gov.in में जनसामान्य के सुविधा हेतु आदेश की प्रति अपलोड करने सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सहायक संचालक, जनसंपर्क, जिला कबीरधाम की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
10. तहसीलदार कवर्धा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
11. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
12. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, कवर्धा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। अनुविभागीय दण्डाधिकारी कवर्धा के पत्र क्रमांक 7607 दिनांक 20.09.2020 का पालन सुनिश्चित करें।
13. सर्व संबंधितको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी,
जिला कबीरधाम